(243)

संख्या– 810 /XV-1/12/1(3)/2011

प्रेषक,

आर०सी० पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 29 अगस्त, 2012

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आय– व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–1408/नि०–5/एक(22)/आय–व्यय/12-13 दिनांक 21.07.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में पशुपालन विभाग हेतु जिला योजना अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत, जिला सैक्टर योजनाओं के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत ₹ 62.92 लाख **(₹ बासठ लाख बयानवै हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	धनराशि हजार ₹ में
2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101– पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–91–जिला योजना 9106–पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	अवमुक्त धनराशि
01–वेतन	3354
03–महंगाई भत्ता	2303
04–यात्रा व्यय	10
06–अन्य भत्ते	393
08–कार्यालय व्यय	28
09–विद्युत देयक	5
10–जलकर/जलप्रभार	5
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	9
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5
17– किराया उपशुल्क कर और स्वामित्व	50
26–मशीन और सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	12
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	15
39–औषधि तथा रसायन	73
42–अन्य व्यय	10
योग	6292

उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है–

(1) विवरणानुसार निर्गत स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृति परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(4) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(5) उक्त धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक–19.06.2012 एवं शासनादेश दिनांक 22 जून, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर०सी० पाठक)
सचिव

<u>संख्या– 810 (1)/XV-1/2011 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. मु०प०चि०अ० देहरादून उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, पशुपालन को उनके पत्र दिनांक 11, जून 2012 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून को वैवसाईट में डालने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव